



जालौन पुलिस



Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ०प्र० लखनऊ महोदय के निर्देशन में अभियुक्तों को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारों को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्त मनोज पुत्र रामसेवक निवासी अधियारी थाना जखौरा जनपद ललितपुर द्वारा लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की घटना के सम्बन्ध में थाना कालपी में मु०अ०सं० 195/17 (वाद संख्या – 48/17) धारा 363/366 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत हुआ था, जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आरोप पत्र मा० न्यायालय प्रेषित किया गया।

जालौन पुलिस टीम एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुये दिनांक 21.09.2023 को मा० न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उरई, जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त मनोज उपरोक्त को दोषी पाते हुये 07 वर्ष का कारावास एवं 12,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दिनांक 15.05.2017 को अभियोग पंजीकृत हुआ था माननीय न्याया० द्वारा आरोप के विचारण के बाद (करीब 06 वर्ष 04 माह में) अभियुक्त को दण्डित किया गया।



ADGC क्रिमिनल विश्वजीत सिंह



कोर्ट पैरोकार अनुज राजपूत

@jalaunpolice

jalaunpolice

Jalaun Police